

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर
पत्रांक - 3763/27-4 फतेहपुर, दिनांक - 25/06/2021

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रयागराज वृत्त,
प्रयागराज।

विषय :- जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के कि.मी. 519.00 से कि.मी. 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी० में एच.डी.डी तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 12" (300एमएम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.99 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या -पी 52/81-2-2021-800(55)/2021 दिनांक 30.03.2021 एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2545/11-सी दिनांक 01.04.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या -पी 52/81-2-2021-800(55)/2021 दिनांक 30.03.2021 से 19 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिरक्षण द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या संलग्नक सहित (4 प्रतियों में) निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

Sr.No	Conditions	Status of Compliance
1	संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
2	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकार धारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
3	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर करउ कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वनविभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वनविभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)

	दिया जायेगा एवं वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/ 2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रति पूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.99 हे0 का एन0पी0वी0 रु0 6,19,740.00 की धनराशि को परिवेश पोर्टल द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1 एवं2)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रस्तावित गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का भूस्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) क्षेत्रीय कार्यालय (उ.प्र.पश्चिम) लखनऊ (उ.प्र.) के पत्रांक 19001/1/ RO-W-UP/NH19/Km.486 to Km. 552/UG/ 586 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अनुमति प्राप्त है जो कि पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड गैल इंडिया लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं दिल्ली राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है तथा कार्य करने हेतु पेट्रोलियम एवं प्रातिक गैस विनियामक बोर्ड नई दिल्ली के अनुमोदन पत्रांक PNRGB/CGD/BID/10/2018/GA/10.42/Schedule-D Dt. 29.03.2019 पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.8.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में प्रकरण में पर्यावरणीय अनापति अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006

	के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र (एफ.आर.ए.) संलग्न है (संलग्नक-11)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98- एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रमाणित किये हुये पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करली गयी है।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रस्तावित गैसलाइन बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वनभूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है। इसलिये अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
17	परियोजना में 12 इंच डाया गैस पाइपलाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वनविभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या-17 के अभिकरण द्वारा प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.99 हे० का एन0पी0वी0 रु० 6,19,740.00 की धनराशि को परिवेश पोर्टल द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1 एवं 2)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाईप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(1) सी०एन०जी०/गैस पाईपलाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाईपलाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू होगी।	20 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रुपया 93,60,000/-दिनांक 7 जुलाई 2010 को प्रभागीय निदेशक कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद गाजियाबाद में जमा कराई जा चुकी है (प्रतिलिपि संलग्न)
	(2) ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाईपलाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाईप लाईन	(संलग्नक-13)

	बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतः या दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैरवनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपणमें व्यय किया जायेगा।	
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

संख्या _____/समदिनांक -

प्रतिलिपि चीफ रिजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि० कानपुर (पार्ट) फतेहपुर एवं हमीरपुर सिविल लाइन्स कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग,
फतेहपुर।

विषय: जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

सन्दर्भ: (1) उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021

(2) आपका पत्रांक-3392/27-4 Dated 18.05.2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आन-लाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05-05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है-

S.No.	Conditions	Compliances/Enclosers
1.	संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)
2.	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या-2 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
3.	सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)
4.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
5.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-7)

18/5/2021

27-1

15-6-2021

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

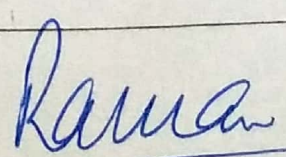
IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation

6.	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-6 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
7.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
8.	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त संख्या-8 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-10)
9.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-09 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.99 हे० का एन0पी0वी0 रू० 6,19,740/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC CORP0000371, A/C No. 1509072116044836 में जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1 एवं 2)
10.	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावित गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का भू-स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) का है। गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) क्षेत्रीय कार्यालय, (उ.प्र. पश्चिम) लखनऊ (उ.प्र.) के पत्रांक 19001/1/RO-W-UP/NH19/Km.486 to Km. 552/UG/586 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अनुमति प्राप्त है। जोकि पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड "गेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं दिल्ली राज्य सरकार" का संयुक्त उपक्रम है तथा कार्य करने हेतु पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के अनुमोदन पत्रांक PNRGB/CGD/BID/10/2018/GA/10.42/Schedule-D Dt. 29.03.2019 पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
12.	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या-12 के अनुपालन में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या-13 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का FRA 2006 प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
 Chief General Manager (GA Head)
 INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Dist.) Etahaur & Hamirpur

14.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15.	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का भू-भाग सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है।
16.	समस्त वैधानिक प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-16 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
17.	परियोजना में 12 इंच डाय गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अमिकरण द्वारा प्रमाणित वन भूमि 0.99 हे० का एन०पी०वी० रु० 6,19,740/- की धनराशि को Forest Clearance Portal द्वारा निर्गत चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC CORP0000371, A/C No. 1509072116044836 में जमा कर दिया गया है। जिसकी रसीद संलग्न है। (संलग्नक-1 एवं 2)
18.	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है (1) सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत् लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	शर्त संख्या-18 के अनुपालन में 20 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि रु 93,60,000/- दिनांक 7 जुलाई 2010 को प्रमाणीय निदेशक कार्यालय सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद गाजियाबाद में जमा कराई जा चुकी है। (प्रतिलिपि संलग्न) (संलग्नक-13)
19.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-19 के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

अतः उपरोक्तानुसार सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

C.S.
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

भवदीय,
Raman
RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 19-05-2021

Agency Name.	INDRAPRASTHA GAS LIMITED, NEW DELHI
Application No.	72116044836
MoEF/SG File No.	P-52/81-2-2021-800(55)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	PLOT NO. 4, COMMUNITY CENTRE, SECTOR 9, R.K. PURAM, NEW DELHI New Delhi
Amount(in Rs)	619740/-

Amount in Words Six Lakh Nineteen Thousand Seven Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1509072116044836 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

UTR NO.- R/RTGS/79935/2021/COMPENSA/INDBR22021052100755128

C.S.

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

△ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/116044/2020 (../viewreport.aspx? pid=FP/UP/Pipeline/116044/2020) Laying of (300mm) Carbon Steel Gas Pipeline along NH-19 (Kanpur-Prayagraj Section) on L.H.S. from Km. 519.00 to Km. 552.00 (Length 33.0 Km) in Distt.-Fatehpur by Indraprastha Gas Ltd, New Delhi.	PIPELINE1160442020836	72116044836	30 Mar 2021	CA: 0/- , Addl 0/- CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety 0/- , Addl 0/- Zone: 0/- , PA : 0/- NPV: 619740/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total 619740/-	 Paid	Fund Demand Verified by 19 May 2021 Nodal Officer On Bank Name Union Bank Of India Mode of Payment NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated 19 May 2021 On Transaction Date 21 May 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/51118122812180QU2TDEMAND Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx? pid=PIPELINE1160442020836)

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

(Handwritten signature)



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

संलग्नक-3

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-1 के अनुसार "संबंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
कानपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

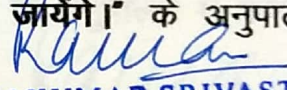
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

संलग्नक-4

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-2 के अनुसार "सी०एन०जी०/पी०एन०जी०पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chan
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

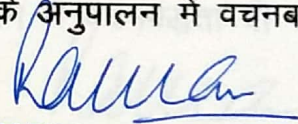
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

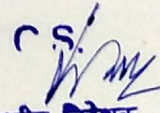
संलग्नक-5

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार "सी०एन०जी०/पी०एन०जी० पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीब निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

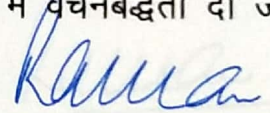
CIN: L23201DL 1998PLC097614

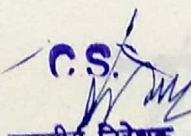
An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-4 के अनुसार "प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


C.S.
प्रभागीय निदेशक
सांवाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रक्षण
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

संलग्नक-7

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के के बिन्दु संख्या-5 के अनुसार "प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

प्रभागीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

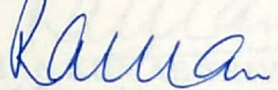
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

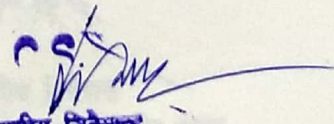
संलग्नक-8

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार "वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

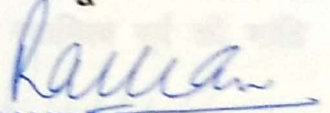
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

संलग्नक-9

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायी पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार "प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9, New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.iglonline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

संलग्नक-10

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-8 के अनुसार "भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।

RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

समाजीक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग

फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation

FORM-1

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector, Fatehpur (U.P.)

No. 376d 27-4

Dated 24-06-2021

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of The Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forestry purposes. In further modifications of above said letter, MOEF exempted the requirement of initiation and completion of process for recognition and vesting of forest rights to schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers in case of linear projects vide ministry of environment and forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014

It is further certified that:-

- a) **An area of 0.99 Hectare** of protected forest land is proposed to be diverted for non-forestry purpose Entry/Exit approach to **Indraprasth Gas Limited, Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur, Civil Lines, Kanpur** for Laying of 12"(300mm) Carbon steel Gas Pipeline along NH-19 (Kanpur-Prayagraj Section) On L.H.S From Km. Ch. 519.000 to Km. 552.000 (Length 33.00Km) in Social Forestry Division of Fatehpur District.
1. **At Road NH-19 (Kanpur-Prayagraj Section) On L.H.S From Km. Ch. 519.000 to Km. 552.000 (Length 33.00Km), District - Fatehpur, (U.P.) In Forestry Division Fatehpur UP Of Protected Forest Land.**
- b) The proposal does not affect the recognized rights and interests of primitive Tribal Groups of agriculture Communities, as those are having no recorded population in the above stated region of protected forest land.
- c) The forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 is located in villages having no recorded populations of Schedule Tribes as per census 2001 and the census 2011. The requirement of forest land as proposed by the agency is barest minimum.

24/06/2021
District Collector/Magistrate
Fatehpur



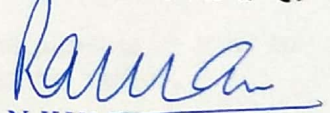
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

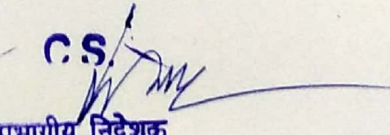
संलग्नक-12

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-16 के अनुसार "समस्त वैधानिक प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001


C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

IGL Bhawan, Plot No. 4. Community Centre, R.K. Puram, Sector - 9. New Delhi-110 022

Phone : 46074607 Fax: 26171863 Website : www.igionline.net

CIN: L23201DL 1998PLC097614

An ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Certified Organisation

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghaziabad

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only)**.

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of **Rs.3,60,000/-** against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

Yashpal Malik
7/7/10
SFD 923

C.S. Wadhwa
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
एन.ए.ए.ए.

Encl: Demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/-

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद
पत्रांक : 74 / 22-7 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई, 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लॉट नं0-4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर-9, नई दिल्ली।

विषय: गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौड़ाहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

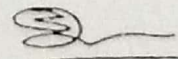
संदर्भ: उ0प्र0 शासन की पत्र सं0-जी0आई0-196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्ठांकित किया गया है के बिन्दु सं0-15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	बांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रु0 4,50,000/-	रु0 90,00,000/-
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रु0 3,60,000/-
कुल योग :-			रु0 93,60,000/-

भवदीय



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

C.S.
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
गाजियाबाद



INDRAPRASTHA GAS LIMITED

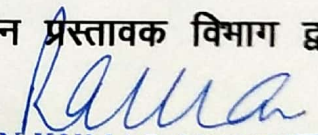
(A Joint Venture of GAIL(India) Ltd, BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

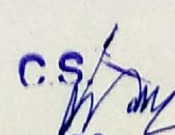
संलग्नक-14

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

विषय : जनपद फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) कि.मी. 519.000 से 552.000 के मध्य मार्ग की बायीं पटरी पर 33.00 कि.मी. लम्बाई में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित (300 mm) कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन के बिछाने हेतु कुल 0.99 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/116044/2020)

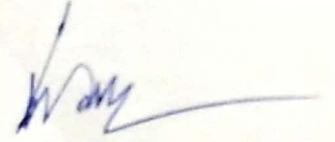
प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के द्वारा उक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के अधीन दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० P-52/81-2-2021-800(55)2021 Dt. 30.03.2021 के बिन्दु संख्या-19 के अनुसार "उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।" के अनुपालन में वचनबद्धता दी जाती है।


RAMAN KUMAR-SRIVASTAVA
Chief General Manager (GA Head)
INDRAPRASTHA GAS LIMITED
Kanpur (Part.) Fatehpur & Hamirpur
808-810, 8th Floor, 14/113, Kan Chamber
Civil Lines, Kanpur-208001

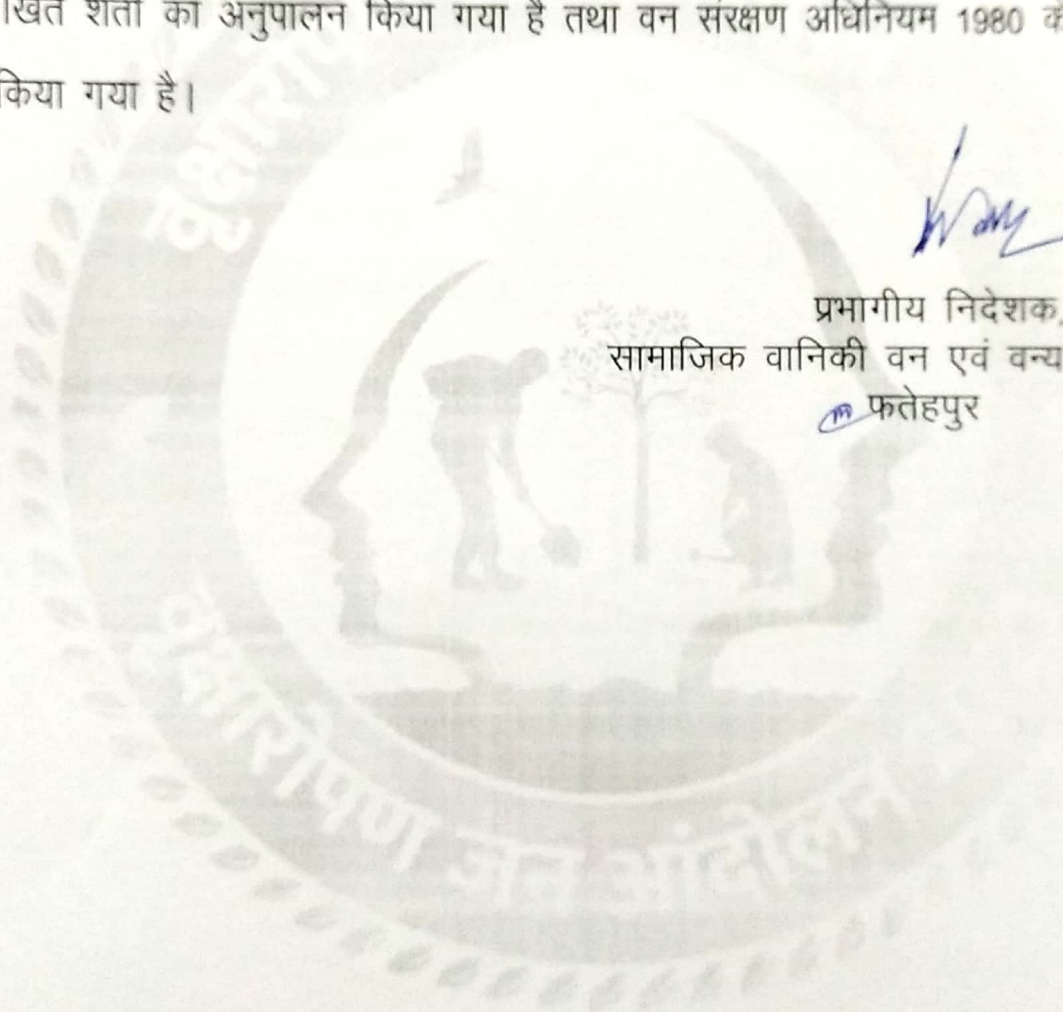

C.S.
प्रशासीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उलंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 (कानपुर-प्रयागराज रोड) के कि.मी. 519.00 से कि.मी. 552.00 कुल लम्बाई 33.00 किमी० में भूमिगत 12" (300एमएम) व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाने में प्रभावित 0.99 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में, इन्द्रप्रस्थ गैस लि० द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उलंघन नहीं किया गया है।

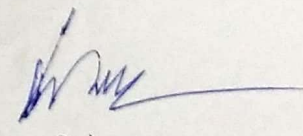


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर



Prapatra-1

S. No	Details	Compliance
1	2	3
1	CA amount as per proposal	Rs. 00.00
2	CA amount deposited	Rs. 00.00
3	Difference in amount	0
4	Reason for difference	0
5	NPV amount as per proposal	Rs. 619740.00
6	NPV amount deposited	Rs. 619740.00
7	Difference in amount	0
8	Reason for difference	0
9	Any other amount deposited- (Plantation and 10 years maintenance of dwarf plants under transmission line)	Rs. 0.00
10	CAMPA confirmation	Payment has been made through E- Payment by Transaction Reference Number - UTR No INDB514000755128 dated 21-05-2021 in CAMPA fund, CAMPA confirmation receipt enclosed here with us.


 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
 फतेहपुर